



पत्रांक:-

1901

/ जी-38 / 122

दिनांक:- 26.11.2025

परियोजना प्रारम्भ प्रमाण पत्र (Commencement Certificate)

- परियोजना का नाम:- मझोला योजना सं0-4, भाग-2 (विस्तार), मुरादाबाद के सेक्टर-12ए में 59 नग स्व वित्त पोषित सेमीफिनिशड भवनों का निर्माण कार्य।
- रेरा में पंजीकृत आई0डी0 संख्या- दिनांक:-
- परियोजना से सम्बन्धित निर्माण/विकास कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों का विवरण:-

क्रं0सं0	विवरण	आई0डी0 संख्या	सन्दर्भ संख्या	दिनांक
1	मझोला योजना सं0-4, भाग-2 (विस्तार), मुरादाबाद के सेक्टर-12ए में 59 नग स्व वित्त पोषित सेमीफिनिशड भवनों का निर्माण कार्य।			

उपर्युक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां एवं उसमें संलग्न ले-आउट प्लान परियोजना हेतु कार्य प्रारम्भ करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (Commencement Certificate) अर्हता को पूर्ण करती है।

अतः उपरोक्त स्वीकृतियों के आधार पर परियोजना प्रारम्भ प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।


अधिशाली अभियन्ता



पत्रांक 95

MKP60(a)/0014

दिनांक-09/01/2025

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता, रुहेलखण्ड वृत्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
सेक्टर-5, ऑफिस काम्पलेक्स,
मझोला योजना सं०-4, भाग-2,
मुरादाबाद

विषय:- परिषद की मझोला योजना सं० 4, भाग 2(विस्तार), मुरादाबाद के सेक्टर-12ए के ले-आउट प्लान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-रुहेलखण्ड 02, मुरादाबाद के पत्रांक 874/YM-3/65 दिनांक 25.07.2024 के माध्यम से परिषद की मझोला योजना सं० 04, भाग 02(विस्तार), मुरादाबाद में स्थित सेक्टर-12ए के नियोजन हेतु इस कार्यालय को किये गये अनुरोध एवं पत्रांक 1476/YM-3/109 दिनांक 27.12.2024 के माध्यम से प्रेषित फिजिबिलिटी के आधार पर ले-आउट प्लान तैयार करते हुये आवास आयुक्त(म०) के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर महोदय द्वारा दिनांक 06.01.2025 को निर्मण शर्तों सहित अनुमोदन प्रदान किया गया है:-

- 1.) वर्तमान में भवन सं० E1 एवं E2 के सापेक्ष असुधार शुल्क की माँग नहीं की गयी है, अतएव इन दोनों भवनों को स्थल से हटाया जाना होगा।
- 2.) सेक्टर 12ए में एकल आवासीय भूखण्डों में तीन टाइप डिजाइन (90/162, 62/128 एवं 45/75) के भवनों का निर्माण पंजीकरण के आधार पर किया जाएगा। अन्यथा की दशा में शेष भवनों का पंजीकरण भूखण्ड के रूप में किया जा सकेगा, जिसके लिए मानचित्र में संशोधन कार्यालय आदेश संख्या 1261 /नि०प्रा०-10(ख) दिनांक 10.09.1993 के अनुसार मुख्य वास्तुविद नियोजक के स्तर से किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिये गये सुझाव पर सेक्टर 12ए में बाईं ओर स्थित 24 मी० सड़क से लगे हुये त्रिकोणीय भूखण्ड को व्यवसायिक न करके हेल्थ सेन्टर के तौर पर ही नियोजित किया गया है तथा सेक्टर 12ए(योजना की सीमा) से लगकर गयी हुई पूर्व निर्मित 9.00 मी० सड़क पर तीन पीपल के वृक्ष(कुआं सहित) स्थित हैं, जो वर्तमान में नियोजित किये गये ले-आउट में 9.00 मी० सड़क के एलाइन्मेंट में आ रहे हैं, अतएव इन वृक्षों को निकट में प्रस्तावित ग्रीन एरिया में सम्मिलित करते हुये नियोजित किया गया है।

उपरोक्तानुसार स्वीकृत ले-आउट प्लान की एक-एक प्रति आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अरविन्द देव)
वास्तुविद नियोजक

प०सं०- 95 / उक्त /

दिनांक-09/01/25

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार स्वीकृत ले-आउट प्लान की एक-एक प्रति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जोनल आयुक्त, बरेली जोन, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 122, सिविल लाइन्स, बरेली।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, रुहेलखण्ड-02, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्पलेक्स, प्रथम तल, सेक्टर-5, मझोला योजना सं०-04, भाग-2, मुरादाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-प्रथम, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, भूतनाथ मार्केट, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर-5, ऑफिस काम्पलेक्स, भूतल, मुरादाबाद।

वास्तुविद नियोजक